न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
044/2016 (GCMS 2016/00042)	20.09.2016	05.04.2021

अनवान

रोहित कुमार पिता गणेशलाल जाति नाई (सैन) नाबालिग बवलायत संरक्षक पिता गणेशलाल सैन निवासी भूपालसागर हाल शहीद भगतसिंह नगर, कच्ची बस्ती पुला जिला उदयपुर (राज.)

निगराकार

बनाम

1. बालुराम तथाकथित गोद पुत्र देवा पिता किशनलाल जाति नाई उम्र वयस्क निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. ग्राम पंचायत भूपालसागर पंचायत समिति भूपालसागर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

गैर निगराकार

–:: निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राजअधिनियम, बनाराजगी विरूद्ध ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा जारी अवासीय भूमि का पट्टा संख्या 44, मिसल संख्या 118/12–13 दिनांक 16.04.2013 ::–

उपस्थिति :–	श्री शिवनारायण जाट	निगराकार
	श्री सावन श्रीमाली	गैर निगराकार संख्या 1
	अनुपस्थित	गैर निगराकार संख्या 2

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा विपक्षी संख्या 1 बालुराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 मिसल संख्या 118/2012–13 दिनांक 16.04.2013 न्याय नियमों एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। गैरनिगराकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 1 बालुराम ने देवाजी का तथाकथित गौदपुत्र बताकर पुश्तैनी मकान को बताते हुए आवासीय पट्टा प्राप्त किया है जबकि बालुराम देवाजी का कभी गौद पुत्र नहीं रहा है। बालुराम के पिता का नाम किशनलाल नाई है। बालुराम के पास देवाजी के गौद जाने एवं देवाजी द्वारा गौद रखे जाने का कोई साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेज नहीं है। गैरनिगराकार ने गलत तथ्यों का सहारा लेकर मकान हड़पने की नियत से ग्राम पंचायत से पट्टे में वर्णित पडौसों के मध्य मकान का पुश्तैनी पट्टा प्राप्त कर लिया है जो कपटपूर्वक एवं बिना प्रतिफल के प्राप्त किया गया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। पट्टे में वर्णित पडौसों के मध्य पुश्तैनी मकान स्वर्गीय देवाजी का था, देवाजी की मृत्यु के पश्चात् उक्त मकान को देवाजी की पत्नी धापु बाई निवास करती थी। धापु बाई की मृत्यु दिनांक 15.06.2010 को हुई थी। धापु बाई के एक वैधानिक वारिसान लडकी गीता थी। गीता की भी दिनांक 29.09.2000 को मृत्यु हो चुकी है। गीता के एक पुत्र रोहित कुमार है जो इस प्रकरण में निगराकार है। देवाजी सजरा मुताबिक निगरानी है। इस प्रकार मूल पुरूष देवा के वर्तमान में प्रथम श्रेणी का वारिस निगराकार है जो पुश्तैनी सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। गैर निगराकार संख्या1 ने झूंठे तथ्यों का सहारा लेकर स्वयं को देवा व धापु का गौद पुत्र बताकर सम्पत्ति हड़पने की नियत से षडयंत्र रचकर कृषि आराजीयात में भी अपना नाम दर्ज करा लिया जिसको निगराकार रोहित कुमार ने कार्यवाही करा बालुराम का नाम हटवाया एवं रोहित कुमार का नाम दर्ज करवाया है। इस प्रकार रोहित कुमार को मकान, जायदाद, कृषि आराजीयात, पुश्तैनी हक से प्राप्त हुई है। पट्टा संख्या 44 में वर्णित पडौसों के मध्य पुश्तैनी मकान में एकमात्र निगराकार हक व अधिकार है एवं गैरनिगराकर संख्या 1 को पुश्तैनी हक से पट्टा लेने का कोई अधिकार नहीं था न ही ग्राम पंचायत के समक्ष मृतक देवा व धापु के उत्तराधिकारी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया, फिर ग्राम पंचायत ने गैरनिगराकार को पट्टा जारी किये जाने में भारी कानूनी भूल की है और इस अवैध पट्टे के निगराकार के हक प्रभावित हुए है। पुश्तैनी मकान पर निगराकार का कब्जा है एवं पट्टे की आड़ में गैरनिगराकार अवैध कब्जा करना चाहते है एवं निगराकार के कब्जे में दखलअंदाजी उत्पन्न करता है। ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा गैरनिगराकार को पट्टा जारी करने से पूर्व कोई नियमों की पालना नहीं की, कोई आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया। देवा के वारिसानों को सुनवाई का अवसर नही दिया, मौके की रिपोर्ट नहीं मंगाई एवं ना ही कोई राशि जमा की गई न ही विधिवत मिसल खोली गई एवं गैरनिगराकार को लाभ पहुंचाने की नियत से बापी पट्टा निःशुल्क जारी कर दिया है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा गैरनिगराकार को पट्टा दिनांक 16.04.2013 को जारी किया गया है जिसकी जानकारी निगराकार को नहीं थी। गैरनिगराकार द्वारा दिनांक 25.08.2016 को अवैध पट्टे की आड़ में निगराकार को पुश्तैनी मकान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से बेदखल करने की धमकी दी तथा कहा कि उसके पास पट्टा है। इस पर निगराकार ने ग्राम पंचायत भूपालसागर के यहां पट्टे की नकल लेने का आवेदन पेश किया। इस पर पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर बिना किसी देरी के निगरानी न्यायालय आप में पेश की जा रही है। अवैध पट्टे के संबंध में निगरानी में कोई मयाद नही है। फिर भी दिनांक 16.04.2013 से दिनांक 25.08.2016 तक की अवधि को न्यायहित में कण्डोन फरमाई जावें। धारा 5 मयाद कानून का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैरनिगराकार को जारी बापी पट्टा संख्या 44 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरनिगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 24.10.2016 को गैरनिगराकार संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 22.12.2016 को गैर निगराकार संख्या 1 की और से जवाब निगरानी पेश किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब निगरानी में गैरनिगराकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि गैरनिगराकार बालुराम के पक्ष मे ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा मिसल 118/2012–13 दिनांक 16.04.2013 कायम कर नियमानुससार भू–भाग का पट्टा जारी किया गया है। यह सरासर गलत है कि उक्त पट्टा एवं न्याय नियम एवं तथ्यो, के विपरित नही है। पट्टा किसी भी सुरत में खारीज किये जाने योग्य नहीं है। गैरनिगराकार संख्या 1 बालुराम गोद पुत्र है तथा बालुराम के प्राकृतिक पिता किशनलाल जी एवं बालुराम के गोद पिता देवा जी दोनो एक ही परिवार से होकर देवजी किशन जी के काका लगते है और किशन लाल जी के पिता जी डालुजी थे। डालुजी व देवजी दोनो सगे भाई थे। देवजी व डालुजी के पिता का नाम मोडाजी था। उक्त जायदाद बालुराम के पास विरासत से कब्जे में आई है और बालुराम इस पर काबीज हो उपयोग उपभोग कर रहा है। गैर निगकाराकर ने कोई गलत तथ्य पंचायत को नही बताये है, कपटपुर्वक पट्टा प्राप्त नहीं किया। इस पट्टे को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है पट्टा सही दिया गया है जिसे निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। पट्टे में वर्णित पडौसों के मध्य की भूमि बालुराम के कब्जे में होकर बालुराम की पैतृक जायदाद है। यह सरासर गलत है कि उक्त धापु बाई की उक्त गीता लडकी हो यह भी सरासर गलत है कि उक्त रोहित गीता का पुत्र हो बल्कि विमला का पुत्र है। इस कलम में राजरा बिल्कुल गलत दिया है। उक्त प्रार्थी रोहित कुमार का मृतक देवाजी से कोई संबंध नहीं था। मृतक देवाजी की जायदाद पर उक्त गीता का कोई हक अधिकार नहीं था। गीता का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। यह सरासर गलत है कि देवाजी की जायदाद का वारिस कथित रोहित कुमार हो। बालुराम का कोई नाम जायदाद से नहीं हटाया गया। इंतकाल की कार्यवाही राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मण्डल अजमेर में लम्बित है। रोहित कुमार ने इंतकाल की अपील की थी और उस प्रकरण का विवाद राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित है। उस विवाद का मकान के पट्टे से कोई संबंध नहीं है। रेवेन्यू न्यायालय द्वारा पट्टे के संबंध में निर्णय पारित नही किया गया है। यह सरासर गलत है कि मकान जायदाद एवं कृषि आराजीयात में कथित रोहित कुमार को किसी तरह का कोई हक प्राप्त हुआ हो। गैरनिगराकार संख्या 1 बालुराम को जायदाद में पुश्तैनी हक प्राप्त होकर पट्टा नियमानुसार सही जारी किया गया है। निगराकार का इस भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में निगराकार को निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नही है। मकान जिसका पट्टा जारी किया गया उस पर बालुराम के गोद पिता देवाजी का हक अधिकार व कब्जा था और उनके जीवन काल में ही गैरनिगराकर बालुराम बहैसियत गोद पुत्र देवाजी व उनकी पत्नी धापुबाई के साथ रहता था और उनकी मृत्यु के बाद विरासत से गैरनिगराकार बालुराम इस जायदाद पर काबिज है। निगराकार का इस जायदाद पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। यह सरासर गलत है कि गैर निगराकार बालुराम पट्टे की आड में जमीन पर कब्जा करना चाह रहा हो। निगराकार का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। गैरनिगकरार का राशनकार्ड, वोडर आईडी व क्रय–विक्रय समिति की लिमिट, आधारकार्ड आदि भूपालसागर की होकर विरासत से इस जायदाद पर गैरनिगराकार बालुराम काबिज है। पट्टा जारी करने से पूर्व पूरी तरह से विधिवत कार्यवाही की है नियमों की पालना की गई है। आपत्ति नोटीस जारी किये गये है। मौके की रिपोर्ट बनाई गई है नियमानुसार राशि जमा कराई गई है। विधिवत मिसल खोली गई है। यह सरासर गलत है कि कोई अनुचित लाभ गैरनिगराकार पहुचायां गया। पट्टा शुल्क जारी करने में कोई कम ज्यादा राशि हो तो आज भी पंचायत में राशि जमा कराई जा सकती है, पट्टा शुल्क की कमी के आधार पर पटटा निरस्त नही किया जा सकता। उक्त पट्टे की जानकारी दिनांक 16.04.2013 को निगराकार को थी नियमानुसार आपत्ति जारी की गई निगराकार ने कोई आपत्ति नहीं की। उक्त विवाद में निगरानी नही की जा सकती अपील का प्रावधान है। उक्त निगरानी तरह से गलत होकर न्यायालय आप को इस विवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। अपील पेश करने की मयाद समाप्त हो गई ओर इस कारण से जो तथ्य अपील में लिखने चाहीये थे उन तथ्यो को गुमा–फिराकर निगरानी पेश की गई जो, चलने योग्य नहीं है। रोहित एवं गैर निगराकार के मध्य कृषि भूमि को लेकर विवाद सन् 2007 से चल रहा है और उक्त रोहित ने इस मकान के लिए कभी कोई विवाद नहीं किया है। पहली बार गलत विवाद किया है। धारा 5 के आवेदन मे तथ्य गलत लिखा है। निगरानी मयाद की तीन माह है तथा आर्टिकल 113 लिमिटेशन एक्ट के तहत किसी तरह के विवाद की मयाद तीन वर्ष है। उक्त निगरानी, 3 वर्ष बाद पेश हुई है। इस कारण से यह निगरानी मयाद बाहर होने से खारीज किये जाने योग्य है। गोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के विवाद को सुनने का न्यायालय आप को अधिकार नहीं है। पट्टे कब्जे व विरासत के आधार पर सही जारी किया गया है। और इस पट्टे को खारीज करने का निगरानी में कोई आधार नहीं बताया गया है। इस तरह के विवाद की अपील होती है। जिसे सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। गोद के विवाद को सुनने क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है और इस प्रकार यह विवाद न्यायालय आपको क्षेत्राधिकार का नही होने से इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। यह कि निगरानी के अन्त में चाहा गया अनुतोष स्वीकार नही है। निगरानी पूरी तरह से गलत व आधारहीन होने से निरस्त किये जाने होने से निरस्त फरमायी जाये। गैर निगराकार ने अपने जवाब में विशेष कथन अंकित कर निवेदन किया कि पट्टा जिस भूखण्ड का जारी किया गया यह भुखण्ड पुरब पश्चिम 35 फिट उत्तर दक्षिण 65 फिट कुल 2275 वर्ग फिट होकर गांव भूपालसागर ग्राम पंचायत भूपालसागर के वार्ड संख्या 5 में किस्म आबादी में स्थित है। इस भूखण्ड के पूरब में कैलाशकुमार का मकान पश्चिम में उदाजी का मकान उत्तर में लालुजी तेली का मकान दक्षिण मे आम रास्ता है। इन चारो पडौसों की जायदाद के बीच गैरनिगराकार बालुराम का मकान होकर कब्जा है। उक्त जायदाद स्वर्गीय पोखरजी के वक्त से चली आ रही है जो पिढीयों से चली आकर पुश्तैनी जायदाद पर गैरनिगराकार बालुराम का कब्जा है और इस कारण से बालुराम के हक में जो पट्टा जारी किया गया वह सही है। ग्राम पंचायत भूपालसागर के सरपंच व पंचो ने दिनांक 12.04.2013 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर पट्टा जारी किया गया है। सभी वार्ड पंच एवं सरपंच ग्राम पंचायत भूपालसागर क्षेत्र के स्थाई निवासी है और उनके मकान के पुश्तैनी हक के बारे मे व्यक्तिगत जानकारी व दस्तावेज के आधार पर जो निर्णय दिनांक 12.04.2013 को लिया है इस निर्णय को निरस्त करने की कोई निगरानी न्यायालय आप में पेश नहीं हुई है। दिनांक 12.04.2013 के ग्राम पंचायत के आदेश को निरस्त करने के लिए कोई निगरानी पेश नहीं हुई। कोई अपील पेश नहीं हुई। दिनांक 12.04.2013 का निर्णय व आदेश चेलेंज नहीं हुआ है। इस कारण भी यह निगरानी खारीज किये जाने योग्य है। पट्टा निरस्त करने की कोई निगरानी नहीं कि जा सकती जब तक की मूल आदेश को ही खारीज कराने के लिए आवदेन नहीं किया गया हो। ग्राम पंचायत द्वारा किस्म भूमि का प्रमाण–पत्र पटवारी हल्का से प्राप्त किया है और पटवारी हल्का ने सारी स्थिती को देख कर मौका पर्चा बनाया है। फोटु जायदाद का पेश किया है और इस जायदाद पर बालुराम का कब्जा पाया तथा पट्टा देने की कब्जे की सिफारिश की है। नियमानुसार अनाप्ती प्रमाण–पत्र लिया गया है और पडौसी कैलाशकुमार उदयलाल कुमार व लालुजी तेली ने पट्टा देने मे सहमति जाहिर की है। प्रकाशचन्द, बालुलाल व जसवन्त सेन ने भी अनाप्ती पत्र दिया है। गांव भूपालसागर के मोतबीर धनराज पिता गोपीलाल कुम्हार उम्र 68 वर्ष निवासी भूपालसागर, लालु पिता बरदा तेली उम्र 85 वर्ष निवासी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूपालसागर उक्त जायदाद पर बालु का कब्जा तस्दीक किया है और पट्टा देने के लिए ग्राम पंचायत से सिफारिश की है। उक्त जायदाद को उक्त मकान का 50 साल से पुराना बताया है। इन मोतबीरान के महत्वपूर्ण निर्णय गैरनिगराकार के पक्ष ने रहा है इस कारण से भी पट्टा विधि अनुसार है। प्रारुप 22 नियम 148 ग्राम पंचायत अधिनियम एवं नियम के तहत उक्त आबादी भूमि के संबंध आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 25.03.2013 को जारी किया गया है और अनाप्ति आने पर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है जिसमे कोई गलती व चूक पट्टा जारी करने में नही हुई है। इस कारण भी उक्त निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। देवा व धापु का लडका भैरुलाल था एवं भुरी बाई भैरुलाल की पत्नी थी। भुरीबाई व भैरुलाल के मध्य पति–पत्नि के रिश्ते नहीं रहे और उक्त भैरुलाल ने रतनीबाई पत्नि मोहनलाल से दिनांक 27.06.67 को नाता विवाह कर लिया। भुरीबाई व भैरुलाल के बीच दिनांक 27.06.67 से विवाह संबंध विच्छेद हो गया, ऐसी स्थिति में उक्त गीता की माता का नाम भूरी है परन्तु गीता के पिता भैरु नहीं है बल्कि गीता के पिता माधु लाल निवासी चाकुडा है। गीता की मृत्यु के वक्त भी गीता का पति गणेशलाल था। ऐसी स्थिति मे उक्त गीता का स्वर्गीय देवाजी व उनकी पत्नि धापु से कभी कोई संबंध नहीं रहा। इस कारण भी उक्त रोहित कुमार का स्वर्गीय देवा व धापु की कोई विरासत से कोई संबंध नहीं है। निगराकार ने जो इन्तकाल खुलने व निरस्त होने की कार्यवाही का कथन किया है, इन्तकाल उक्त निगराकार रोहित कुमार के नाम न तो विरासत से खुला है और न ही कब्जे के आधार पर खुला है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के निर्णय की रिविजन राजस्व बोर्ड अजमेर ने लम्बित है और कथित नामान्तरण आदेश दिनांक 15.05.2013 से उक्त रोहित कुमार न तो खातेदार काश्तकार बनता है और न ही काबिज आराजीयात साबित होता है। गैरनिगराकार मृतक देवजी का गोद पुत्र है। देवजी की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नि धापु सैन (नाई) जाति के रीति रिवाज के मुताबिक गैरनिगराकार बालुराम को जब गैरनिगराकार बालुराम की उम्र 15 वर्ष के करीब थी तब गोद रखा। गैरनिगराकार बालुराम के प्राकृतिक माता पिता ने गैरनिगराकार बालुराम को धापु पत्नि देवाजी की गोद मे बिठाया एवं धापु पत्नि देवाजी ने गैरनिगराकार को गोद में बिठाकर गोदपुत्र स्वीकार किया ओर तभी से गैरनिगराकार बालुराम बहैसियत गोदपुत्र धापु एवं देवाजी के वारीस के रुप में विरासत से काबिज आराजीयात व जायदाद है। धापु की अंतिम समय तक सेवा चाकरी गैरनिगराकार बालु द्वारा की गई एवं धापु के देहावसान के पश्चात् उसका सारा क्रियाकर्म व सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार कार्य सम्पादन बालुराम द्वारा ही किया गया। यह रोहित कुमार की माता का नाम गीता नही होकर विमला है और जो कि रेलमगरा की है। रोहित कुमार ने यह स्वीकार किया है कि संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 29.04.2013 के विरुद्ध राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मण्डल अजमेर में प्रार्थी ने निगरानी पेश की है और जो निगरानी एडमिट हो चुकी है ऐसी स्थिति में निगरानी के लम्बित रहने व विवाद के लम्बित रहते जो इन्तकाल रद्दोबदल आदेश हुए और उक्त रोहित कुमार जिस इन्तकाल के जरिये अपने आपको खातेदार बताते है, उक्त इन्तकात विवाद के लम्बित रहते हुए खोला गया है और इस कारण से उक्त रोहित कुमार को इस इन्तकाल रद्दोबदल से भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। राजस्व न्यायालयों ने निगराकार रोहित को श्रीमति धापु का वैद्यानिक वारीस मानकर उक्त विपक्षी के नाम रेकार्ड में अमल दरामद हुआ हो, इन्तकाल रद्दोबदल की अपीलीय कार्यवाही में विरासत के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता और अपील न्यायालय में तो केवल अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की वैधानिक व कार्यवाही में विधि अनूकुल का परिक्षण कर निर्णय देती है और इस प्रकार अपीलीय न्यायालय के निर्णयों से कोई अधिकार उक्त निगराकार रोहित को प्राप्त नहीं होता है। देवाजी के एक पुत्र भैरुलाल व देवाजी की पत्नि श्रीमति धापु बाई थी। श्रीमति भूरी भैरुलाल को छोडकर माधवलाल के साथ नाता कर लिया और उक्त माधवलाल के नुत्फे से गीता का जन्म हुआ है। देवाजी की समस्त चल अचल सम्पति धापु एक वारिस होने से उनके नाम रेकर्ड में दर्ज हुई। निगराकार ने गीता के देहान्त की तारीख 29.09.2000 गलत लिखे है। गीता की मृत्यू दिनांक 29.12.1999 को हुई है। गैरनिगराकार ग्राम रावतिया को रहने वाला है और ग्राम रावतिया से भूपालसागर की दुरी मात्र 4 किमी है। ग्राम रावतिया की ग्राम पंचायत भूपालसागर है और ऐसी स्थिति में उक्त निगराकार रोहित कुमार का यह कथन हास्यास्पद लगता है कि गैरनिगराकार रावतिया का रहने वाला है इस कारण से उसका धापु से कोई सम्बंध नही है। गैरनिगराकार ने कोई फर्जी, कुटरचित बनावटी गोदनामा तैयार नही किया है। इन्तकाल रद्दोबदली के अपीलीय निर्णय से निगराकार को कोई मकान पर अधिकार जायदाद में नहीं मिलते है। उक्त रोहित कुमार धापु का वारिस नहीं है। देवाजी के विरासत का सजरा उक्त विपक्षी रोहित कुमार ने गलत पेश किया है। देवाजी का पुत्र भैरुलाल और पत्नी धापु थी, यह सही हैं। स्व. देवाजी के सजरे में उक्त रोहित कुमार का नाम गलत, आधारहीन व फर्जी लिखा हैं। यह राजस्व न्यायालय को विरासत का तथ्य तय करने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में गैरनिगराकार बालुराम गोद पुत्र है यह तथ्य प्रमाणित है और गोदपुत्र की हैसियत से प्रार्थी बालुराम विवादित जायदाद का खातेदार व काबिज है, यह तथ्य निस्तारण करने का राजस्व न्यायालय को पुरा अधिकार है। गोद लेने की पूरी रस्म प्रमाणित हुई है। गैरनिगराकार बालुराम के प्राकृतिक माता–पिता ने बालुराम को श्रीमति धापु को गोद ने बिठाकर गोदपुत्र स्वीकार किया । मृतका श्रीमति धापु एवं गैरनिगराकार बालुराम के प्राकृतिक पिता किशनलाल के एक ही वंशज के है और एक ही वंशज के होने से एक ही रक्त है और इस कारण से धापु की विरासत का अधिकार मात्र धापु के ससुराल पक्ष के वारिसान को ही है। निगराकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रोहित कुमार देवाजी के वारिसान व परिवार की श्रेणी में नहीं आते है। गीता की शादी गीता के ससुराल पक्ष की जायदाद पर ही उक्त रोहित कुमार का अधिकार बनता। गीता का पीहर पक्ष माधवलाल के यहां है, ऐसी स्थिति में धापु की जायदाद में गीता का कोई हक अधिकार नही है। धापु के जीवनकाल में ही विवादित जायदाद पर बालुराम का कब्जा था और धापु के जीवनकाल में ही धापु ने बालुराम को गोद रख लिया था और धापु की मृत्यू के बाद विरासती हक से कब्जा गैरनिगराकार बालुराम है। गैरनिगराकार बालुराम को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित कर भूमि से बेदखल नहीं किया है, और ऐसी स्थिति में कब्जा बालुराम का ही चला आ रहा है जो कि करीब 20 वर्ष से ज्यादा समय से लगातार बिना किसी बाधा के बहैसियत मकान पर खुले रुप से सभी आम व खास की जानकारी ने कब्जा चला आ रहा है और निगराकार रोहित कुमार को विवादित आराजीयात से गैरनिगराकार को बेदखल करने की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है और ऐसी स्थिति ने बालुराम का कब्जा है। निगराकार भगतसिंह नगर कच्ची बस्ती पुला उदयपुर में रहता है और ऐसी स्थिति मे उदयपुर से भूपालसागर रावतिया आकर उक्त विपक्षी काश्त करे यह कतई संभव नही है। स्व. भैरुलालजी कभी भी अपने जीवनकाल मे उनके पुत्री जीवित होने का कथन नहीं किया है और भेरुलाल जी की पत्नि श्रीमति भूरी व भैरुलाल जी के बीच चले मुकदमो में भी भैरुलाल जी ने स्पष्ट अंकन किया कि भूरी व उनके मध्य कभी भी कोई दाम्पत्य संबंध कायम नही हुआ है और ऐसी स्थिति में उक्त गीता का भैरुलाल की पुत्री होने का कथन स्वतः अप्रमाणित होता है। भैरुलाल जी ने अपनी पत्नी भूरी के साथ दाम्पत्य संबंधो से इन्कार किया है और उस समय जायदाद का कोई विवाद भी नहीं था। यदि श्रीमति गीता भैरुलाल जी की पुत्री होती तो निश्चित रुप से भैरुलाल जी भी भूरी के मध्य विवाद में गीता का जिक्र अवश्य होता है। अव्वल श्रीमति धापु ने कभी भी गीता को अपनी पोत्री नही माना है। गीता धापु के पुत्र भैरुलाल की पुत्री नही थी। फिर भी विकल्प में उक्त गीता का भैरुलाल व धापु से कोई संबंध स्थापित माना जावें तो कवेल मात्र सहानुभूमिपूर्वक किसी तरह की धार्मिक पालना करने से रिश्ता कायम नहीं होता है। गीता की मृत्यु भी उसका समुचित उपचार नहीं होने से हुई है। फिर भी गीता का कोई संबंध धापू से प्रमाणित निगराकार रोहित कुमार करा दे तो वह भावात्मक संबंध है और भावात्मक संबंध कभी भी विरासत का रूप नहीं ले सकते है। श्रीमति धापु ने प्रार्थी बालुराम को गोद रखा और गोदपुत्र स्वीकार करते हुए समस्त चल अचल सम्पत्ति बालुराम को वसीयत की है और धापु की मृत्यु के बाद बालुराम ही एक मात्र वारिस गोदपुत्र की हैसियत से घोषित किया है और ऐसी स्थिति में भी बालुराम ही जायदाद का एक मात्र स्वामी काबिज व खातेदार है। अतः गैरनिगराकार की और से प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय हर्जे–खर्चे के खारीज फरमाया जाने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का आदेश प्रदान करावें। गैरनिगराकार की और से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भूपालसागर से मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर विकास अधिकारी भूपालसागर के पत्रांक/पंसभू/पंचायत/2018/574 दिनांक 14.02.2018 से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ जो कि पत्रावली के हम किता है।

प्रकरण में बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली में निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा विपक्षी संख्या 1 बालुराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 मिसल संख्या 118/2012–13 दिनांक 16.04.2013 न्याय नियमों एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। गैरनिगराकार संख्या 1 बालुराम ने देवाजी का तथाकथित गौदपुत्र बताकर पुश्तैनी मकान को बताते हुए आवासीय पट्टा प्राप्त किया है जबकि बालुराम देवाजी का कभी गौद पुत्र नहीं रहा है। बालुराम के पास देवाजी के गौद जाने एवं देवाजी द्वारा गौद रखे जाने का कोई साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेज नहीं है। गैरनिगराकार ने गलत तथ्यों का सहारा लेकर मकान हड़पने की नियत से ग्राम पंचायत से पट्टे में वर्णित पडौसों के मध्य मकान का पुश्तैनी पट्टा प्राप्त कर लिया है जो कपटपूर्वक एवं बिना प्रतिफल के प्राप्त किया गया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। पट्टे में वर्णित पडौसों के मध्य पुश्तैनी मकान स्वर्गीय देवाजी का था, देवाजी की मृत्यु के पश्चात् उक्त मकान को देवाजी की पत्नी धापु बाई निवास करती थी। धापु बाई की मृत्यु दिनांक 15.06.2010 को हुई थी। धापु बाई के एक वैधानिक वारिसान लडकी गीता थी। गीता की भी दिनांक 29.09.2000 को मृत्यु हो चुकी है। गीता के एक पुत्र रोहित कुमार है जो इस प्रकरण में निगराकार है। मूल पुरूष देवा के वर्तमान में प्रथम श्रेणी का वारिस निगराकार है जो पुश्तैनी सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। पट्टा संख्या 44 में वर्णित पडौसों के मध्य पुश्तैनी मकान में एकमात्र निगराकार हक व अधिकार है एवं गैरनिगराकर संख्या 1 को पुश्तैनी हक से पट्टा लेने का कोई अधिकार नहीं था न ही ग्राम पंचायत के समक्ष मृतक देवा व धापु के उत्तराधिकारी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया, फिर ग्राम पंचायत ने गैरनिगराकार को पट्टा जारी किये जाने में भारी कानूनी भूल की है और इस अवैध पट्टे के निगराकार के हक प्रभावित हुए है। ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा गैरनिगराकार को पट्टा जारी करने से पूर्व कोई नियमों की पालना नहीं की, कोई आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया। देवा के वारिसानों को सुनवाई का अवसर नही दिया, मौके की रिपोर्ट नहीं मंगाई एवं ना ही कोई राशि जमा की गई न ही विधिवत मिसल खोली गई एवं गैरनिगराकार को लाभ पहुंचाने की नियत से बापी पट्टा निःशुल्क जारी कर दिया है जो निरस्त योग्य है। अधिवक्ता निगराकार की बहस के जवाब में विद्वान अधिवक्ता गैर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगराकार संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि गैरनिगराकार बालुराम के पक्ष मे ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा मिसल 118/2012–13 दिनांक 16.04.2013 कायम कर नियमानुससार भू–भाग का पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा एवं न्याय नियम एवं तथ्यो, के विपरित नही है। पट्टा किसी भी सुरत में खारीज किये जाने योग्य नहीं है। गैरनिगराकार संख्या 1 बालुराम गोद पुत्र है तथा बालुराम के प्राकृतिक पिता किशनलाल जी एवं बालुराम के गोद पिता देवाजी दोनो एक ही परिवार से होकर देवजी किशन जी के काका लगते है और किशन लाल जी के पिता जी डालुजी थे। डालुजी व देवजी दोनो सगे भाई थे। देवजी व डालुजी के पिता का नाम मोडाजी था। उक्त जायदाद बालुराम के पास विरासत से कब्जे में आई है और बालुराम इस पर काबीज हो उपयोग उपभोग कर रहा है। गैर निगकाराकर ने कोई गलत तथ्य पंचायत को नही बताये है, कपटपुर्वक पट्टा प्राप्त नहीं किया। इस पट्टे को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है पट्टा सही दिया गया है जिसे निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। पट्टे में वर्णित पडौसों के मध्य की भूमि बालुराम के कब्जे में होकर बालुराम की पैतृक जायदाद है। उक्त प्रार्थी रोहित कुमार का मृतक देवाजी से कोई संबंध नहीं था। मृतक देवाजी की जायदाद पर उक्त गीता का कोई हक अधिकार नहीं था। गीता का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। गैरनिगराकार संख्या 1 बालुराम को जायदाद में पुश्तैनी हक प्राप्त होकर पट्टा नियमानुसार सही जारी किया गया है। निगराकार का इस भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में निगराकार को निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नही है। मकान जिसका पट्टा जारी किया गया उस पर बालुराम के गोद पिता देवाजी का हक अधिकार व कब्जा था और उनके जीवन काल में ही गैरनिगराकर बालुराम बहैसियत गोद पुत्र देवाजी व उनकी पत्नी धापुबाई के साथ रहता था और उनकी मृत्यु के बाद विरासत से गैरनिगराकार बालुराम इस जायदाद पर काबिज है। निगराकार का इस जायदाद पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। गैरनिगकरार का राशनकार्ड, वोडर आईडी व क्रय–विक्रय समिति की लिमिट, आधारकार्ड आदि भूपालसागर की होकर विरासत से इस जायदाद पर गैरनिगराकार बालुराम काबिज है। पट्टा जारी करने से पूर्व पूरी तरह से विधिवत कार्यवाही की है नियमों की पालना की गई है। आपत्ति नोटीस जारी किये गये है। मौके की रिपोर्ट बनाई गई है नियमानुसार राशि जमा कराई गई है। विधिवत मिसल खोली गई है। पट्टा शुल्क जारी करने में कोई कम ज्यादा राशि हो तो आज भी पंचायत में राशि जमा कराई जा सकती है, पट्टा शुल्क की कमी के आधार पर पटटा निरस्त नही किया जा सकता। उक्त पट्टे की जानकारी दिनांक 16.04.2013 को निगराकार को थी नियमानुसार आपत्ति जारी की गई निगराकार ने कोई आपत्ति नहीं की। उक्त विवाद में निगरानी नही की जा सकती अपील का प्रावधान है। उक्त निगरानी तरह से गलत होकर न्यायालय आप को इस विवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त नही है। अपील पेश करने की मयाद समाप्त हो गई ओर इस कारण से जो तथ्य अपील में लिखने चाहीये थे उन तथ्यो को गुमा–फिराकर निगरानी पेश की गई जो, चलने योग्य नहीं है। निगरानी मयाद की तीन माह है तथा आर्टिकल 113 लिमिटेशन एक्ट के तहत किसी तरह के विवाद की मयाद तीन वर्ष है। उक्त निगरानी, 3 वर्ष बाद पेश हुई है। इस कारण से यह निगरानी मयाद बाहर होने से खारीज किये जाने योग्य है। गोद के विवाद को सुनने का न्यायालय आप को अधिकार नहीं है। पट्टे कब्जे व विरासत के आधार पर सही जारी किया गया है। और इस पट्टे को खारीज करने का निगरानी में कोई आधार नहीं बताया गया है। इस तरह के विवाद की अपील होती है। जिसे सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। गोद के विवाद को सुनने क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है और इस प्रकार यह विवाद न्यायालय आपको क्षेत्राधिकार का नही होने से इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। पट्टा जिस भूखण्ड का जारी किया गया यह भुखण्ड पुरब पश्चिम 35 फिट उत्तर दक्षिण 65 फिट कुल 2275 वर्ग फिट होकर गांव भूपालसागर ग्राम पंचायत भूपालसागर के वार्ड संख्या 5 में किस्म आबादी में स्थित है। इस भूखण्ड के पूरब में कैलाशकुमार का मकान पश्चिम में उदाजी का मकान उत्तर में लालुजी तेली का मकान दक्षिण मे आम रास्ता है। इन चारो पडौसों की जायदाद के बीच गैरनिगराकार बालुराम का मकान होकर कब्जा है। उक्त जायदाद स्वर्गीय पोखरजी के वक्त से चली आ रही है जो पिढीयों से चली आकर पुश्तैनी जायदाद पर गैरनिगराकार बालुराम का कब्जा है और इस कारण से बालुराम के हक में जो पट्टा जारी किया गया वह सही है। ग्राम पंचायत भूपालसागर के सरपंच व पंचो ने दिनांक 12.04.2013 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर पट्टा जारी किया गया है। सभी वार्ड पंच एवं सरपंच ग्राम पंचायत भूपालसागर क्षेत्र के स्थाई निवासी है और उनके मकान के पुश्तैनी हक के बारे मे व्यक्तिगत जानकारी व दस्तावेज के आधार पर जो निर्णय दिनांक 12.04.2013 को लिया है इस निर्णय को निरस्त करने की कोई निगरानी न्यायालय आप में पेश नहीं हुई है। दिनांक 12.04.2013 के ग्राम पंचायत के आदेश को निरस्त करने के लिए कोई निगरानी पेश नहीं हुई। कोई अपील पेश नहीं हुई। दिनांक 12.04.2013 का निर्णय व आदेश चेलेंज नहीं हुआ है। इस कारण भी यह निगरानी खारीज किये जाने योग्य है। पट्टा निरस्त करने की कोई निगरानी नहीं कि जा सकती जब तक की मूल आदेश को ही खारीज कराने के लिए आवदेन नहीं किया गया हो। इस जायदाद पर बालुराम का कब्जा पाया तथा पट्टा देने की कब्जे की सिफारिश की है। नियमानुसार अनाप्ती प्रमाण–पत्र लिया गया है और पडौसी कैलाशकुमार उदयलाल कुमार व लालुजी तेली ने पट्टा देने मे सहमति जाहिर की है। प्रकाशचन्द, बालुलाल व जसवन्त सेन ने भी अनाप्ती पत्र दिया है। गांव भूपालसागर के मोतबीर धनराज पिता गोपीलाल कुम्हार उम्र 68 वर्ष निवासी भूपालसागर, लालु पिता बरदा तेली उम्र 85 वर्ष निवासी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूपालसागर उक्त जायदाद पर बालु का कब्जा तस्दीक किया है और पट्टा देने के लिए ग्राम पंचायत से सिफारिश की है। उक्त जायदाद को उक्त मकान का 50 साल से पुराना बताया है। इन मोतबीरान के महत्वपूर्ण निर्णय गैरनिगराकार के पक्ष ने रहा है इस कारण से भी पट्टा विधि अनुसार है। प्रारुप 22 नियम 148 ग्राम पंचायत अधिनियम एवं नियम के तहत उक्त आबादी भूमि के संबंध आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 25.03.2013 को जारी किया गया है और अनाप्ति आने पर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है जिसमे कोई गलती व चूक पट्टा जारी करने में नही हुई है। इस कारण भी उक्त निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। देवजी की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नि धापु सैन (नाई) जाति के रीति रिवाज के मुताबिक गैरनिगराकार बालुराम को जब गैरनिगराकार बालुराम की उम्र 15 वर्ष के करीब थी तब गोद रखा। गैरनिगराकार बालुराम के प्राकृतिक माता पिता ने गैरनिगराकार बालुराम को धापु पत्नि देवाजी की गोद मे बिठाया एवं धापु पत्नि देवाजी ने गैरनिगराकार को गोद में बिठाकर गोदपुत्र स्वीकार किया ओर तभी से गैरनिगराकार बालुराम बहैसियत गोदपुत्र धापु एवं देवाजी के वारीस के रुप में विरासत से काबिज आराजीयात व जायदाद है। धापु की अंतिम समय तक सेवा चाकरी गैरनिगराकार बालु द्वारा की गई एवं धापु के देहावसान के पश्चात् उसका सारा क्रियाकर्म व सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार कार्य सम्पादन बालुराम द्वारा ही किया गया। गैरनिगराकार ने कोई फर्जी, कुटरचित बनावटी गोदनामा तैयार नही किया है। मृतका श्रीमति धापु एवं गैरनिगराकार बालुराम के प्राकृतिक पिता किशनलाल के एक ही वंशज के है और एक ही वंशज के होने से एक ही रक्त है और इस कारण से धापु की विरासत का अधिकार मात्र धापु के ससुराल पक्ष के वारिसान को ही है। निगराकार रोहित कुमार देवाजी के वारिसान व परिवार की श्रेणी में नहीं आते है। गीता की शादी गीता के ससुराल पक्ष की जायदाद पर ही उक्त रोहित कुमार का अधिकार बनता। गीता का पीहर पक्ष माधवलाल के यहां है, ऐसी स्थिति में धापु की जायदाद में गीता का कोई हक अधिकार नही है। धापु के जीवनकाल में ही विवादित जायदाद पर बालुराम का कब्जा था और धापु के जीवनकाल में ही धापु ने बालुराम को गोद रख लिया था और धापु की मृत्यू के बाद विरासती हक से कब्जा गैरनिगराकार बालुराम है। गैरनिगराकार बालुराम को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित कर भूमि से बेदखल नहीं किया है, और ऐसी स्थिति में कब्जा बालुराम का ही चला आ रहा है जो कि करीब 20 वर्ष से ज्यादा समय से लगातार बिना किसी बाधा के बहैसियत मकान पर खुले रुप से सभी आम व खास की जानकारी ने कब्जा चला आ रहा है और निगराकार रोहित कुमार को विवादित आराजीयात से गैरनिगराकार को बेदखल करने की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। श्रीमति धापु ने प्रार्थी बालुराम को गोद रखा और गोदपुत्र स्वीकार करते हुए समस्त चल अचल सम्पत्ति

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बालुराम को वसीयत की है और धापु की मृत्यु के बाद बालुराम ही एक मात्र वारिस गोदपुत्र की हैसियत से घोषित किया है और ऐसी स्थिति में भी बालुराम ही जायदाद का एक मात्र स्वामी काबिज व खातेदार है। अतः गैरनिगराकार की और से प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मय हर्जे–खर्चे के खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार की बहस के रिवटल में अधिवक्ता निगराकार ने बताया की निगराकार विवादित पट्टे को निरस्त कराने न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है जिसकी क्षेत्राधिकार अंतर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत इसी न्यायालय को प्राप्त है। निगराकार द्वारा प्रकियात्मक के संबंध में तथ्य उठाये गये है जिस पर गैर निगराकार द्वारा किसी भी प्रकार का कथन नहीं किया गया है। गैरनिगराकार द्वारा दीगर प्रकरणों एवं तथ्यों के संबंध में कथन किया गया पट्टें की वैधानिकता के संबंध में किसी भी प्रकार से कथन नहीं किया गया है अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। जहॉ तक गैर निगराकार द्वारा निगरानी के मियाद का विषय में तथ्य उठाये गये है तो इस संबंध में निगराकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 निगरानी के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसमें निगराकार द्वारा विलम्ब के युक्ति–युक्त कारण अंकित किया गया है।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायतीराज नियम, 1966 के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये है।

157. **Regularisation of old houses.-**

[1][Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

(a)	For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules	Rs. 100 /-
(b)	For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016].	Rs. 200/-

[2][Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। प्रावधानुसार जहॉ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जा सकेगा। अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जरिये मिसल संख्या 118/2012–13 दिनांक दायर 05.03.2013 से उक्त विवादित पट्टा संख्या 44 दिनांक 16.04.2013 जारी किया गया। उक्त मिसल पत्रावली रिकार्ड पर है। मिसल के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर को पुराने गृह का पट्टा जारी किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया। मिसल की आज्ञाओं की सूची की आज्ञा दिनांक 15.03.2013 अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुश्तैनी भूमि का नक्शा पंचायत के 3 सदस्यगणों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश दिये गयें। आज्ञा दिनांक 25.03.2013 के अनुसार पुश्तैनी भूमि का नक्शा व पंचायत के 3 सदस्यों द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत हुई एवं इस बाबत् आपत्ति बाबत् 15 दिन का आपत्ति पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। आज्ञा दिनांक 12.04.2013 के अनुसार 15 दिन का आपत्ति पत्र जारी किया गया अन्दर मियाद कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, अतः सर्वसम्मति से पट्टा जारी किये जाने का निर्णय किया गया। हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा प्रेषित रोकड बही वर्ष 2013–14 का अवलोकन किया। हमने रोकड बही के पृष्ठ संख्या 16 के क्रम संख्या 6 पर अंकित विवरण का अवलोकन किया। विवरणानुसार रसीद संख्या 350 दिनांक 18.04.2013 से बालु पिता देवा से रूपये 200/– अक्षरे दौ सौ रूपये का आवासीय पट्टा शुल्क जमा किया गया। ग्राम पंचायत भूपालसागर के बैठक कार्यवाही विवरण वर्ष 2012–13 व 2013–14 का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा मिसल संख्या 118/2012–13 की आज्ञाओं की सूची में आज्ञा दिनांक 25.03.2013 को अंकित किया गया है कि 3 सदस्यगणों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है किन्तु उक्त रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। उक्त आज्ञा दिनांक 25.03.2013 का ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण में अंकन नहीं है। मिसल संख्या 118/2012–13 के साथ संलग्न किस्म भूमि प्रमाण–पत्र में हल्का पटवारी भूपालसागर के हस्ताक्षर नहीं होकर पटवारी भूपालसागर द्वारा प्रमाणित शुदा नहीं है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा जारी आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस प्रारूप 22 (नियम 148) दिनांक 25.03.2013 को जारी किया गया है उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नोटिस में आक्षेप की अवधि एक मास अंकित की गई है। उक्त नोटिस किस प्रकार से प्रचारित किया गया है इसका अंकन नोटिस पर नहीं है। उक्त नोटिस के चस्पा किया जाना जाहिर नहीं होता है। इसके साथ राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में स्पष्ट प्रावधान किये गये है कि आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् ही पट्टा जारी किया जा सकता है जबकि आवेदक द्वारा राशि रूपये 200/– अक्षरें दौ सौ रूपये दिनांक 18.04.2013 को जमा कराये गये है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड जिसका पट्टा संख्या 44 दिनांक 16.04.2013 अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा जारी किया गया है, उक्त पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसगार द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की जाकर विधिक भूल किया जाना जाहिर होता है।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का मनन चिंतन किया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 का अवलोकन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड मृतक देवाजी एवं मृतका धापु के आधिपत्य का रहा है जिसे उभयपक्षकारान द्वारा स्वीकार किया गया है। उपयुक्त विवेचन से जाहिर होता है कि जहॉ अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा त्रुटि कारित की गई है। इसके साथ निगरानी पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत की गई है जिसमें अधिनियम की धारा 97 के प्रावधानों के तहत ही विचार किया जाना है। अधिनियम की धारा 97 में अंकित प्रावधानों के अनुसरण में उक्त विवादित पट्टा संख्या 44 दिनांक 16.04.2013 की ही परीक्षण किया जाना है, निगरानी में वर्णित अन्य तथ्यों के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है। ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा संख्या 44 दिनांक 16.04.2013 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये विवादित पट्टा संख्या 44 दिनांक 16.04.2013 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा त्रुटि कारित की गई है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य प्रतीत होती है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 16.04.2013 जो कि गैरनिगराकार संख्या 1 बालुराम पिता देवाजी नाई निवासी भूपालसागर के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में पक्षकारान द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के तहत विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर नियमानुसार पूर्ण प्रकिया की पालना की जाकर उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी भूपालसागर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.04.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:47 IST
Reason: SelfAttested